रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2000/बैशाख 13, 1922
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2000/VAISAKHA 13, 1922

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

का.आ. 430(अ).—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समुद्र कानून अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्य श्री पी. सी. राव पर धारा 18 (क) और (ख) के प्रावधान की यथा परिवर्तित रूप में घोषणा करती है। तथापि श्री राव पर धारा 18(ख) तभी तक लागू रहेगी जब तक वह समुद्र कानून अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्य बने रहेंगे।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. यू-II/106/18/97]

आ. गोपीनाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2000

S.O. 430(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Section 18(a) & (b) shall, mutatis mutandis, to Shri P.C. Rao, Member of the International Tribunal for the Law of the Sea. However, Section 18 (b) will be applicable only for such time as Shri Rao continues to be a member of the International Tribunal for the Law of the Sea.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. U-II/106/18/97]

A. GOPINATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054